राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 620/2009/भीलवाड़ा

मैसर्स करतार कैरियर्स प्रा.लि., भीलवाडा।

अपीलार्थी

बनाम अपीलीय प्राधिकारी, उदयपुर।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ श्री नत्थूराम, सदस्य श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री वैदराज गहलोत, अभिभाषक। श्री डी.पी.ओझा, उपराजकीय, अभिभाषक।

....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.08.2017

निर्णय

- यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 149/आरएसटी/ईटी/2007-08 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 25.02.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-ए, भीलवाड़ा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2007 के अन्तर्गत राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की सपठित धारा 66(2) वैट अधिनियम, 2003 के विरूद्ध पेश की गयी है। जिसमें प्रवेश कर रूपये 13,56,660/- एवं ब्याज रूपये 1,35,670/- तथा शास्ति रूपये 21,70,660 / – को चुनौती दी गई है।
- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसाई द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय से कोई E.T.-1 फार्म हेतू आवेदन किया और न ही कोई E.T.-1 फार्म जारी करवाया गया। अतः कर निर्धारण आदेश में वाहन स्वामी पर E.T.-1 फार्म के अभाव में देय प्रवेश कर तथा नियमानुसार शास्ति व ब्याज आरोपित किया गया। वाहन स्वामी ने दिनांक 17.03.2007 को E.T.-1 फार्म प्राप्त करने हेतू आवेदन किया है, जबकि वाहन पूर्व में ही राज्य में आयात कर परिवहन विभाग से पंजीकृत करा लिये हैं। इस प्रकार वाहन स्वामी ने घोषणा पत्र E.T.-1 का उपयोग किये बिना राज्य के बाहर से मोटर वाहन राजस्थान राज्य के सीनिय क्षेत्र में लाने के कारण प्रवेश कर शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखने के कारण वाहन स्वामी ने यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार करने का निवेदन कियां एवं राजस्व की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिक बताया एवं उसे यथावत रखने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड पत्रावली के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने जो टिप्पणी प्रस्तुत की है वह निम्न प्रकार है-

"वाहन स्वामी की ओर से इस कार्यालय का E.T.-1 फार्म प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अतः E.T.-1 फार्म पेश नहीं करने से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् वाहन स्वामी पर देय प्रवेश कर तथा नियमानुसार शास्ति व ब्याज आरोपित किया गया है। 2m

लगातार.....2

कर निर्धारण आदेश विस्तृत रूप से लिखा गया है। वाहन स्वामी ने दिनांक 17.03.2007 को E.T.-1 फार्म प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, जबिक वाहन पूर्व में ही राज्य में आयात कर परिवहन विभाग से पंजीकृत करा लिये हैं। जबिक वाहन राज्य में लाने से पूर्व ही E.T.-1 फार्म प्राप्त करने का दायित्व है। मांग पत्र व आदेश दिनांक 04.04.2007 को वाहन स्वामी को तामील कराये जा चुके है।" विचाराधीन अपील में विवादित मुख्य बिन्दु घोषणा पत्र E.T.-1 का उपयोग किये बिना राज्य के बाहर से मोटर वाहन राजस्थान राज्य के स्थानीय क्षेत्र में लाने की परिस्थित में प्रवेश कर वैधानिक रूप से देय होने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स आशापुरा ओइल सेन्टर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में प्रदान किये गये निर्णिय दिनांक 10.02.2000 (उद्धरण (2000) 27 RTJS page 159) में यह विधिक मत प्रतिपादित किया है कि —

"Rajasthan Tax On Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988, Sec. 3-Incidence of tax- Tax was not charged on the vehicles at the point of entry and proceedings later initated for levy of tax. Counsel for appellant argued that since the tax was not charged at the time of entry, incidence of tax was lost and subsequent proceedings are without on which the levy is to be imposed should be the vehicle imported. Levy of tax upheld.

Rajasthan Tax On Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988, Sec. 4(2)-Rajasthan Tax On Entry of Motor Vehicles into Local areas Rules 1992 Rule 4-Reduction of tax liability- Section 4(2) of the Act is attracted only when the conditions, as prescribed, have been followed by the person claiming reduction. Assessee did not apply for issue of Form ET-1, are not entitle for reduction.

Rajasthan Tax On Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988, Sec. 4(2)-Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local areas Rules 1992, Rule 4-Reduction of Tax liability- Abolition of check-post effect- Section 4(2) of the Act is attracted only when the conditions as prescribed, have been followed by the person claiming reduction. No refuse can be taken by the assessee that the checkposts are not there. The Assessee could have been obtained and submitted form ET-1 to the Commercial Taxes Officer."

- 4. उपरोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक विवेचन के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आयातकर्ता फर्म पर प्रवेश कर जमा कराने का विधिक दायित्व बनता है, और इसका विस्तृत विवेचन कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04.03.2007 किया है। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करने में कोई विधिक भूल नहीं की है अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।
- 5. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(मदन लाल मालवीय) सदस्य

(नित्यूराम) सदस्य